उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा (ख) विभाग

संख्या ४०५७-ख/५---१२७-४७

लखनऊ, १० अक्तूबर, १९५६ ई०

विज्ञप्ति

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ (१९३९ का अधिनियम संख्या १०) की धारा ४२ के अधीन राज्यपाल, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यह नियमावली अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (१) के उपबन्धों के अपेक्षानुसार विज्ञप्ति संख्या ९४०-बी० आई०/५---१२७-४७, दिनांक १८ जुलाई, १९५६ में प्रकाशित की जा चुकी हैं।

यह नियमावली समय-समय पर विज्ञापित समस्त नियमावलियों को अतिक्रान्त करके बनायी गयी है।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन बोर्ड के चुनाव की नियमावली

प्रारम्भिक

परिभाषायें।

१--इस नियमावली में, जब तक कोई बात, विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो--

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य है समय-समय पर संशोधित यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९।

(कक) "निर्वाचन क्षेत्र" से तात्पर्य है एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसकी नियम १-क में व्यवस्था की गई है।

(ख) निर्वाचक से तात्पर्य है--

(१) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४) के अधीन निर्वाचन की दशा में वह व्यक्ति जिसका नाम बोर्ड से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश की आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की उस सूची में दर्ज हो जो नियम ३ के अधीन तैयार की गई हो;

(२) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड ५ के अधीन निर्वाचन की दशा में वह व्यक्ति जिसका नाम बोर्ड से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश की यूनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की उस सूची में दर्ज हो जो नियम ३ के अधीन तैयार की गई हो;

Scanned with OKEN Scanner

(३) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन वैद्यों के स्थानों के निर्वाचन की दशा में वह व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर्ड वैद्यों की उस सूची में दर्ज हो जो नियम २ के अधीन रिटर्निंग अफसर के पास भेजी गई हो, और

(४) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन हकीमों के स्थानों के निर्वाचन की दशा में वह व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर्ड हकीमों की उस सूची में दर्ज हो जो नियम २ के अधीन रिटर्निंग अफसर के पास भेजी गई हो।

(ग) "सूची" से उपर्युक्त खंड (ख) के किसी भी उपखंड के सन्दर्भ में तात्पर्य है उस उपखंड में उल्लिखित सूची।

(घ) "रिटर्निंग अफसर" से तात्पर्य है आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक और इसके अन्तर्गत उनकी अनुपस्थिति में, कोई ऐसा अधिकारी भी है, जिसे उक्त निदेशक इन नियमों के अधीन रिटर्निंग अफसर के समस्त अथवा किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने के लिये लिखित रूप में प्राधिकृत करें।

निर्वाचन क्षेत्र

१-क-- अधिनियम की धारा ५ (१), (६) के अधीन उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड वैद्यों तथा हकीमों द्वारा ९ सदस्यों (क्रमशः ६ वैद्य तथा ३ हकीमों) के निर्वाचन के अभिप्राय से यह प्रदेश निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होगा :--

(क) वैद्यों के लिये--

१--मेरठ डिवीजन,

२--आगरा डिवीजन,

३--रुहेलखंड सहित कुमायूं डिवीजन,

४--इलाहाबाद सहित झांसी डिवीजन,

५--बनारस सहित गोरखपुर डिवीजन,

६--फैजाबाद सहित लखनऊ डिवीजन।

(ख) हकीमों के लिये--

१--मेरठ सहित आगरा डिवीजन,

२-- रुहेलखंड सहित कुमायूं सहित इलाहाबाद सहित झांसी,

३--बनारस सहित गोरखपुर सहित फैजाबाद सहित लखनऊ।

नोट--इस नियम में डिवीजन का अर्थ रेवेन्यू डिवीजन है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

निर्वाचक सूची

२--अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन किसी निर्वाचन क्षेत्र में वैद्य अथवा हकीमों के स्थान के निर्वाचन के सम्बन्ध में नियम १२ के उप-नियम (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित होने के पश्चात् यथाशीघ्र रजिस्ट्रार रिटर्निंग आफिसर को रजिस्टर की प्रविष्टियों के आधार पर तैयार की गई निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले रजिस्टर्ड वैद्यों या हकीमों की, जैसी भी स्थिति हो, आकार-पत्र १ में सूची भेज देगा और तत्काल ही रिटर्निंग आफिसर को रजिस्टर में किये गये किसी भी परिवर्तन की, जो नियम १२ के उपनियम (२) के खंड (ध) के अधीन निश्चित दिनांक के पूर्व तैयार की गई सूची की प्रविष्टियों को प्रभावित करते हों, सूचना प्रेषित करेगा रिटर्निंग आफिसर इस प्रकार प्रेषित परिवर्तन की प्रविष्टि उस सूची में करेगा अथवा करवायेगा जो उसे इस नियम के अधीन प्राप्त हुई थी।

रजिस्टर्ड वैद्यों और रजिस्टर्ड हकीमों की सूची।

बोर्ड से सम्बद्ध आयुर्वेदिक तथा यूनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की सूची

३--(१) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४) के अधीन निर्वाचन के प्रयोजनार्थ रिटर्निंग आफिसर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधि से, जो एतत्पश्चात निर्धारित की गई है, आकार-पत्र २ में बोर्ड से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश की आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की एक सूची तैयार करायेगा।

(२) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (५) के अधीन निर्वाचन के प्रयोजनार्थ रिटर्निंग आफिसर उसी प्रकार आकार-पत्र २ में बोर्ड से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश की यूनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की भी एक सूची तैयार करायेगा।

(३) राज्य सरकार उपनियम (१) अथवा उपनियम (२) में उल्लिखित सूची नए सिरे से तैयार कराने के निमित्त रिटर्निंग आफिसर को किसी भी समय आदेश दे सकती है।

४--(१) नियम ३ के अधीन सूची तैयार करते समय रिटर्निंग आफिसर प्रथमतः ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, नाम संकलित करने के पश्चात् प्रत्येक संस्था की वर्णक्रमानुसार (Alphabotical order) तैयार की गई नामों की सूची का आलेख्य तैयार करवायेगा और आपत्तियों की प्राप्ति के निमित्त सरकारी गजट में विज्ञापित करवायेगा। इस विज्ञप्ति में यह बतलाया जायगा कि ऐसा व्यक्ति जो यह दावा करे कि उसका नाम सूची में दर्ज होना चाहिये या अथवा जो सूची की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में आपत्ति करे, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक और समय पर अथवा उससे पूर्व रिटर्निंग आफिसर के सामने उसके कार्यालय में दावा या आपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, कर सकता है।

सूचियों के आलेख्य का निर्माण तथा उनकी विज्ञप्ति।

(२) उपनियम (१) में निर्दिष्ट किया जाने वाला दिनांक उस दिनांक से, जब सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हो, कम से कम ७ दिन पश्चात् का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(३) इस विज्ञप्ति में ऐसे दिनांक, समय और स्थान भी निर्दिष्ट होंगे जब कि नामों की प्रविष्टि के सम्बन्ध में दावों की तथा उन आपत्तियों की सुनाई की जायगी जो केवल सूची के आलेख्य में लेख सम्बन्धी अशुद्धियों (clerical errors) के ठीक किये जाने के सम्बन्ध में हों।

दावों तथा आपत्तियों से संबंधित ब्योरे।

५--(१) नियम ४ के अधीन कोई भी दावा लिखित रूप से प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर या तो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जो उस सूची में अपना नाम प्रविष्ट करवाना चाहता हो या उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के तथा यदि दावा डाक द्वारा न भेजा जाय, तो उसे ऐसा व्यक्ति अथवा ऐसा अभिकर्ता स्वयं प्रस्तुत करेगा। दावे में उन अर्हताओं का उल्लेख अवश्य होना चाहिये, जिनके आधार पर नाम के प्रविष्ट किये जाने की प्रार्थना की गई हो।

(२) नियम ४ के अधीन आपत्ति लिखित रूप से की जायगी तथा वह उपनियम (१) के अनुसार हस्ताक्षरित होगी और प्रस्तुत की जायगी। यदि आपत्ति सूची में किसी नाम की प्रविष्टि के विरुद्ध हो तो वह दो प्रतियों में प्रस्तुत की जायगी तथा उसके साथ ऐसे लिफाफे भेजे जायेंगे जिन पर पता लिखा होगा और आवश्यक मूल्य के डाक टिकट भी लगे होंगे। उन लिफाफों में आपत्तिकर्त्ता अथवा उसके अभिकर्ता पर तथा उस व्यक्ति पर, जिनके नाम की प्रविष्टि से आपत्ति संबन्धित है, रजिस्ट्री डाक द्वारा सुनवाई की नोटिस तामील की जायगी। इस आपत्ति में अभीष्ट संशोधन का उल्लेख रहेगा तथा यदि आपत्ति सूची के आलेख्य से किसी नाम को निकलवाने के सम्बन्ध में हो तो उसमें सूची के आलेख्य में नाम के आगे दर्ज समस्त ब्यौरे तथा वे कारण भी निर्दिष्ट होंगे, जिनके आधार पर नाम की प्रविष्टि के सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो।

दावों और आपत्तियों की सुनवाई और उनका निर्णय।

६--(१) नियम ३ के उपनियम (३) के उल्लिखित दावों और आपत्तियों की सुनवाई नियम ४ के अधीन विज्ञप्ति में विज्ञापित दिनांक, समय और स्थान पर ऐसे क्रम में आरम्भ की जायेगी, जिसे रिटर्निंग आफिसर उचित समझे। रिटर्निंग आफिसर ऐसे साक्ष्य पर जो दावे या आपत्ति के साथ प्रस्तुत किया जाय, अथवा जिसे दावेदार या आपत्तिकर्ता या उसका एजेन्ट दावे या आपत्ति की सुनवाई के समय प्रस्तुत करे, विचार करेगा। रिटर्निंग आफिसर नित्यप्रति तब तक दावों तथा आपत्तियों की सुनवाई करेगा जब तक समस्त दावे तथा आपत्तियां निस्तारित न हो जायं, किन्तु वह स्वविवेक से किसी भी दावे या आपत्ति की सुनवाई स्थगित कर सकता है, जिससे दावेदार या आपत्तिकर्ता अपने दावे या आपत्ति के समर्थनार्थ साक्ष्य प्रस्तुत कर सके।

(२) किसी भी नाम के सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति ऐसे दिनांक, समय तथा स्थान पर सुनी जायगी जिसे रिटर्निंग आफिसर निश्चित करे तथा उसकी नोटिस आपत्तिकर्ता अथवा उसके अभिकर्ता पर तथा उस व्यक्ति पर जिसके नाम के सम्मिलित किये जाने के विरोध में आपत्ति हो, तामील की जायेगी। यह नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजी जायगी तथा उस व्यक्ति की दशा में जिसके नाम के सम्मिलित होने के सम्बन्ध में आपत्ति हो इस नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति भी रहेगी। रिटर्निंग आफिसर आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच करेगा और स्वविवेक से वह सुनवाई स्थगित करेगा, जिससे उभयपक्ष अथवा उनमें से कोई एक पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके।

Scanned with OKEN Scanner

(३) रिटर्निंग अफसर प्रत्येक दावे या आपत्ति के सम्बन्ध में अपनी आज्ञा अभिलिखित (record) करेगा, तथा अपने द्वारा अभिलिखित निर्णयों के अनुसार सूची के आलेख्य को संशोधित और ठीक करायेगा। इस प्रकार संशोधित और ठीक की गई सूची अन्तिम होगी और सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी तथा उसकी एक प्रति रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में भी एक सप्ताह तक के लिये सार्वजनिक सूचना के निमित्त लगायी जायगी।

अन्तिम सूची की अवधि।

७—नियम ६ के उपनियम (३) के अधीन प्रकाशित निर्वाचकों की सूची सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी, तथा नियम ८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक इस नियमावली के अधीन नई सूची प्रवृत्त न हो जाय।

अन्तिम सूची का संशोधन।

८—(१) रिटर्निंग अफसर किसी भी समय सूची की लेख (clerical) या छपाई सम्बन्धी अशुद्धियों को ठीक किये जाने की तथा किसी दोहरी (duplicate) प्रविष्टि के हटाये जाने की आज्ञा दे सकता है और तदुपरान्त सूची में उक्त अशुद्धियां ठीक कर दी जायेंगी अथवा दोहरी प्रविष्टियां हटा दी जायेंगी।

(२) जब नियम ७ के अधीन कोई सूची प्रवृत्त हो तब कोई भी व्यक्ति सूची में अपने नाम को बढ़वाने के लिये दावा प्रस्तुत कर सकता है, अथवा सूची में लिखे हुये किसी नाम के सम्बन्ध में अथवा किसी नाम से सम्बद्ध किसी ब्यौरे के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियम १२ के उपनियम (१) के अधीन निर्वाचन विज्ञप्ति के प्रकाशन तथा नियम १९ या ३२ के अधीन ऐसे निर्वाचन के फल की घोषणा किये जाने की अवधि के बीच और जब तक ऐसे दावे या आपत्ति के साथ दो रुपये का शुल्क न हो, जो दावे या आपत्ति के प्रस्तुत करने के समय नकद दिया जायगा, रिटर्निंग अफसर सूची में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कोई दावा अथवा उसमें किसी नाम के प्रविष्टि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं करेगा।

(३) नियम ५ तथा ६ के उपबन्ध यथाशक्य इस नियम के अधीन प्रस्तुत दावों तथा आपत्तियों पर प्रवृत्त होंगे—

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक दावे तथा आपत्ति के साथ दावेदार अथवा आपत्तिकर्त्ता या उसके अभिकर्त्ता को रजिस्ट्री डाक द्वारा सुनवाई का नोटिस भेजने के लिये एक ऐसा लिफाफा आना चाहिये, जिस पर पता लिखा हो तथा आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हों और यदि आपत्ति सूची में से कोई नाम हटवाने अथवा आपत्तिकर्त्ता से सम्बन्धित प्रविष्टि से भिन्न किसी प्रविष्टि को ठीक कराने के लिए की गई हो तो भी उस व्यक्ति को नोटिस देने के लिये, जिसके नाम अथवा विवरणों से आपत्ति का सम्बन्ध हो, उसी प्रकार का लिफाफा आपत्ति के साथ भेजा जाना चाहिये।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि रिटर्निंग अफसर द्वारा किसी दावे अथवा आपत्ति की सुनवाई करने के पश्चात् किसी परिवर्द्धन, अकरण या संशोधन (addition, omission or correction) का आदेश दिये जाने पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ सरकारी गजट में उसे विज्ञापित किया जायगा।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

सूचियों की प्रतियों का निरीक्षण तथा उन्हें जारी करना।

९--(१) नियम २ अथवा ३ में उल्लिखित सूची का निरीक्षण ऐसे समय तथा स्थान पर जिसे रिटर्निंग अफसर निर्धारित करे, किया जा सकता है।

(२) रिटर्निंग अफसर नियम २ अथवा नियम ३ में उल्लिखित किसी भी सूची की प्रति, उतने शुल्क देने पर दे सकता है जितना वह निश्चित करे।

मताधिकार।

१०--कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम सूची में तत्समय दर्ज न हो मत देने का अधिकारी न होगा तथा उस दशा को छोड़ कर जिसकी इस अधिनियम अथवा नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम सूची में दर्ज हो, मत देने का अधिकार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खड (छ) के अधीन किसी निर्वाचन छेत्र में निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति को मत देने का अधिकार न होगा जिसका नाम उस क्षेत्र की निर्वाचन सूची में दर्ज न हो।

फैकल्टियों द्वारा निर्वाचन।

११--(१) जब कभी अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (३) के अधीन बोर्ड के सदस्यों को चुनने के लिए कोई साधारण निर्वाचन (General Election) करना आवश्यक हो जाय तो राज्य सरकार सरकारी गजट में एक ऐसी विज्ञप्ति निकालेगी, जिसके द्वारा प्रत्येक उस विश्वविद्यालय की, जिसमें चिकित्सा की आयुर्वेदिक अथवा यूनानी पद्धति हो, सम्बन्धित फैकल्टी से उस दिनांक के भीतर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया गया हो, निर्वाचन करने के लिये कहा जायगा।

(२) उपनियम (१) में उल्लिखित विज्ञप्ति निकल जाने पर उपनियम (१) के अधीन विज्ञप्ति में निश्चित दिनांक के पूर्व सम्बन्धित फैकल्टी की बैठक का आयोजन उस विधि तथा उन नियमों के अनुसार किया जायगा, जिनका अनुपालन किसी बैठक के बुलाने तथा उसके अयोजित करने के सम्बन्ध में उक्त फैकल्टी द्वारा साधारणतः किया जाता है और तब फैकल्टी किसी एक व्यक्ति को एकल हस्तान्तरणीय मत (single non-transferable vote) द्वारा बोर्ड का सदस्य निर्वाचित करेगी। फैकल्टी उस सदस्य का नाम राज्य सरकार के पास भेजेगी।

(३) यदि बोर्ड के किसी सदस्य का स्थान उसकी मृत्यु होने, उसके त्याग-पत्र देने, हटाये जाने, अथवा इस नियम के अधीन निर्वाचित किसी व्यक्ति के निर्वाचन के परिवर्जन (avoidance) के कारण अकस्मात रिक्त हो जाय, तो स्थान रिक्त होने के बाद यथाशीघ्र इस नियम में उपबंधित विधि के अनुसार उपनिर्वाचन किया जाय, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसी फैकल्टी से कहा जायगा, जिसने भूतपूर्व सदस्य को निर्वाचित किया था रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए।

अन्य चुनावों के सम्बन्ध में विज्ञप्ति।

१२--(१) जब कभी बोर्ड के सदस्यों के साधारण निर्वाचन में अथवा किसी आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, अधिनियम की धारा ५ के उपनियम (१) के खंड (४), (५) अथवा (६) के अधीन निर्वाचन करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी, जिससे सम्बन्धित निर्वाचकों से अनुरोध किया जायगा कि वे विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से पूर्व सदस्य अथवा सदस्यों का चुनाव कर लें।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(२) उपनियम (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र रिटर्निंग अफसर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा :—

(क) नाम निर्देशन (nomination) करने का दिनांक, जो इस उपनियम के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के उपरान्त आठवें दिन से पूर्व न होगा;

(ख) नाम निर्देशनों की जांच का दिनांक, जो नाम निर्देशन करने के दिनांक के पश्चात् तीसरे दिन के बाद का न होगा ;

(ग) उम्मीदवारी वापस लेने का अन्तिम दिनांक, जो खंड (ख) के अधीन नाम निर्देशनों की जांच के दिनांक के पश्चात् का तीसरा दिन होगा, और

(घ) वह दिनांक, जिस तक मत देने के पश्चात् शलाका-पत्र (Ballot paper) रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जाने चाहियें और जो खंड (ग) के अधीन उम्मेदवारी वापस लेने के लिए निश्चित किये गये अन्तिम दिनांक के पश्चात् १५ वें दिन से पहले न होना चाहिये, निश्चित करेगा ।

(३) विज्ञप्ति में इस बात का भी उल्लेख किया जायगा कि नाम निर्देशन पत्र (nomination paper) रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में उपनियम (२) के खंड (क) के अधीन निश्चित दिनांक को पूर्वान्ह १० बजे तथा अपरान्ह ३ बजे के बीच लिये जायेंगे और उनकी जांच उक्त उपनियम के खंड (ख) के अधीन निश्चित दिनांक को रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में पूर्वान्ह १० बजे आरम्भ की जायगी ।

नाम निर्देशन-पत्र और उनकी जाँच ।

१३—(१) यदि कोई निर्वाचक किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अधिनियम की धारा ५ के उपनियम (१) के खंड (४),(५) अथवा (६) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, नाम निर्देशित (nominate) होना चाहता हो, तो वह स्वयं अथवा अपने प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा अपना नाम निर्देशन-पत्र आकार पत्र ३ में पूर्णरूप से भरकर रिटर्निंग अफसर को ऐसे दिनांक को, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय के भीतर दे देगा, जो नियम १२ के उपनियम (२) और (३) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हो ।

(२) नाम निर्देशन-पत्र पर इस आशय से कि उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन से सहमत है, वह अपने हस्ताक्षर करेगा । उसी नाम निर्देशन-पत्र पर प्रस्तावक तथा अनुमोदक के रूप में दो निर्वाचकों के भी हस्ताक्षर होंगे ।

(३) नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर रिटर्निंग अफसर तुरन्त ही उस पर प्राप्ति का दिनांक तथा समय अंकित करेगा और जो पत्र नियम १२ के उपनियम (२) के अधीन विज्ञप्ति में निश्चित किये गये दिनांक, समय तथा स्थान पर प्राप्त न होंगे, उन्हें वह तुरन्त अस्वीकार कर देगा ।

(४) रिटर्निंग अफसर प्राप्त हुए ऐसे नाम निर्देशन-पत्रों को, जो उपनियम (३) के अधीन अस्वीकृत न किये गये हों, आकार-पत्र ४ में एक नोटिस तैयार करायेगा और उसे अपने कार्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर लगवा देगा ।

Scanned with OKEN Scanner

जमा की गई धन-राशि ।

१४—(१) उम्मीदवार नियमानुसार तब तक नाम निर्देशित न समझा जायगा, जब तक कि वह ५० रुपये की धनराशि जमा न करे अथवा जमा न करवा दे ।

(२) उपनियम (१) के अधीन जिस धनराशि को जमा करने की अपेक्षा की गई हो वह उस उपनियम के अधीन तब तक जमा की गई नहीं समझी जायगी, जब तक कि नियम १३ के अधीन नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार ने उक्त धनराशि रिटर्निंग अफसर के पास नगद जमा न की हो अथवा जमा न कराई हो, अथवा नाम निर्देशन-पत्र के साथ मनीआर्डर की रसीद संलग्न न की हो जिससे यह पता चल सके कि उक्त धनराशि बोर्ड को देने के लिए मनीआर्डर द्वारा भेज दी गई है ।

नाम निर्देशन-पत्रों की जांच ।

१५—(१) उम्मीदवार, प्रत्येक उम्मेदवार का एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक और एक अन्य व्यक्ति, जिसे प्रत्येक उम्मीदवार ने लिखित रूप में प्राधिकृत किया हो, किन्तु अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं, नियम १३ के अधीन नाम निर्देशन-पत्रों की जांच के लिए निश्चित दिनांक, समय तथा स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं और रिटर्निंग अफसर उन्हें सभी उम्मीदवारों के उन सभी नाम निर्देशन-पत्रों की, जिन्हें नियम १३ के अधीन अस्वीकृत न किया गया हो, जांच करने के समय सभी उचित सुविधायें देगा ।

(२) तत्पश्चात् रिटर्निंग अफसर नाम निर्देशन-पत्रों की जांच करेगा और उन सभी आपत्तियों पर, जो किसी नाम निर्देशन-पत्र के सम्बन्ध में की जायं अपना निर्णय देगा । और या तो इस प्रकार की आपत्ति किये जाने पर अथवा स्वतः सरसरी तौर पर ऐसी जांच-पड़ताल करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे किसी भी नाम निर्देशन-पत्र को, निम्नलिखित किसी भी आधार पर अस्वीकृत कर सकता है :—

(क) कि इस अधिनियम के अधीन रिक्त स्थान की पूर्ति के निमित्त चुने जा सकने के लिये उम्मीदवार अर्ह नहीं है ।

(ख) कि इस अधिनियम के अधीन रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये उम्मीदवार को अनर्ह ठहराया जा चुका है ।

(ग) कि नियम १३ या १४ के किसी भी उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया गया है ।

(घ) कि उम्मीदवार अथवा प्रस्तावक अथवा अनुमोदक के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं अथवा छल से प्राप्त किये गये हैं ।

(३) उपनियम (२) के खंड (ग) अथवा खंड (घ) की कोई भी बात नाम निर्देशन-पत्र की किसी अनियमितता के आधार पर किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन अस्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जायगी यदि उम्मीदवार का नाम निर्देशन किसी दूसरे नाम निर्देशन-पत्र द्वारा, जिसके सम्बन्ध में कोई अनियमितता न बरती गई हो विधिवत कर लिया गया है ।

(४) रिटर्निंग अफसर किसी भी नाम निर्देशन-पत्र को किसी भी प्राविधिक दोष अथवा ऐसी भूल के आधार पर जो बहुत ही सारवान न हो,

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

अस्वीकृत नहीं करेगा और इस प्रकार के किसी दोष अथवा भूल को दूर करने के अभिप्राय से नाम निर्देशन-पत्र में किसी भी प्रविष्टि को ठीक किये जाने की अनुमति दे सकता है।

(५) उपनियम (४) के अधीन कोई सुधार के करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में रिटर्निंग अफसर की आज्ञा अन्तिम होगी और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में, जिसमें अधिनियम के अधीन नियुक्त निर्वाचन न्यायाधिकरण भी हैं, आपत्ति न उठाई जायगी।

(६) नियम १२ के अधीन इस विषय के लिए निश्चित दिनांक को रिटर्निंग अफसर नाम निर्देशन-पत्रों की जांच करेगा और उसकी कार्यवाहियों को स्थगित करने की अनुमति तब तक न देगा, जब तक कि कार्यवाहियों में दंगों अथवा खुली हिंसात्मक कार्यवाहियों अथवा ऐसे ही अन्य कारणों से, जिन पर उसका कोई वश न हों, रुकावट अथवा बाधा न पहुंचे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति किये जाने की दशा में सम्बद्ध उम्मीदवार को उसका खंडन करने का समय दिया जायगा किन्तु यह समय जांच के लिये निश्चित दिनांक से २ दिन से आगे का न होगा, और रिटर्निंग अफसर उस दिनांक को अपना निर्णय अभिलिखित करेगा, जिस दिनांक के लिये कार्यवाही स्थगित की गई हो।

(७) रिटर्निंग अफसर प्रत्येक नाम निर्देशन-पत्र पर उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अपना निर्णय अंकित करेगा और यदि नाम निर्देशन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाये तो वह उस पर ऐसे अस्वीकरण के कारणों को संक्षेप में लेखबद्ध कर देगा।

वैध नाम निर्देशनों की सूची।

१६—(१) नाम निर्देशन-पत्रों की जांच करने के पश्चात् रिटर्निंग अफसर आकार-पत्र ५ में वैध नाम निर्देशनों की एक सूची हिन्दी में तैयार करायेगा, जिसमें वैध रूप में नाम निर्देशित उम्मीदवारों के वर्गक्रमानुसार नाम तथा पते, जैसे कि वे नाम निर्देशन-पत्रों में लिखे हों दिये होंगे।

(२) सूची की एक प्रति रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में जाँच पूरी होने के दूसरे दिन तक लगा दी जायगी।

उम्मीदवारों की वापसी।

१७—(१) कोई उम्मीदवार आकार-पत्र ६ में लिखित रूप में नोटिस देकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। इस नोटिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और वह नियम १२ के अधीन निश्चित दिनांक को अपरान्ह तीन बजे से पूर्व ही रिटर्निंग अफसर को या तो स्वयं उम्मीदवार द्वारा अथवा उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, जिसे उम्मीदवार ने एतदर्थ लिखित रूप से अधिकृत कर दिया हो, दिया जायगा।

(२) किसी भी व्यक्ति को, जिसने उपनियम (१) के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का नोटिस दिया हो, उसे रद्द (cancel) करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

वापसी का नोटिस।

१८—(१) नियम १७ के अधीन नोटिस मिलने पर रिटर्निंग अफसर उस पर प्राप्त होने के दिनांक तथा समय अंकित करेगा और यदि वह नियम १७ के उपनियम (१) के अधीन निश्चित समय के भीतर उपलब्ध हुआ हो तो वह नियम १४ में उल्लिखित प्रतिभूत उम्मीदवार को अथवा उसे जमा करने वाले व्यक्ति को वापस कर देने का आदेश देगा।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(२) रिटर्निंग अफसर नियम १७ के अधीन उम्मीदवारी वापस लेने का नोटिस मिलने के बाद यथाशीघ्र उम्मीदवारी वापस लेने के नोटिस को शलाका-पत्र ७ में तैयार करवायगा और इसे अपने कार्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर लगवायेगा और उम्मीदवारी वापस लेने वाले व्यक्ति का नाम नियम १६ के अधीन तैयार की गयी सूची में से निकाल देगा।

कुछ दशाओं में निर्वाचन फलों की घोषणा।

१९--(१) यदि नियम १६ के अधीन सूची तैयार करते समय अथवा नियम १८ के अधीन नाम निकाल देने के पश्चात् रिटर्निंग अफसर को पता चले कि नाम निर्देशित उम्मीदवारों की संख्या रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक नहीं है, तो वह तुरन्त ही उन सब उम्मीदवारों को नियमानुसार निर्वाचित घोषित कर देगा।

(२) यदि उन उम्मीदवारों की संख्या, जो उपनियम (१) के अधीन निर्वाचित घोषित किये जायं, रिक्त स्थानों की संख्या से कम पड़े तो रिटर्निंग अफसर रिक्त स्थानों की संख्या की सूचना राज्य सरकार को देगा, जो रिक्त स्थानों की संख्या की पूर्ति के लिये नये सिरे से निर्वाचन की कार्यवाही प्रारम्भ करेगी।

वैध रूप से नाम-निर्देशित व्यक्तियों की सूची का प्रकाशन।

२०--उस स्थिति के अतिरिक्त जिसमें नियम १९ के अधीन कार्यवाही की गई हो रिटर्निंग अफसर वैध रूप से नाम निर्देशित व्यक्तियों की सूची, जैसी कि वह नियम १६ के अधीन तैयार और नियम १८ के अधीन संशोधित की गई हो, सरकारी गजट में प्रकाशित करेगा और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में भी लगवायेगा।

शलाका-पत्रों के जारी होने के पूर्व मृत्यु।

२१--यदि किसी उम्मीदवार की, जो नियमानुसार नाम निर्देशित हो चुका हो, नाम निर्देशन-पत्र की समुचित जाँच हो जाने के पश्चात् मृत्यु हो जाय और नियम २२ के अधीन शलाका-पत्र जारी होने के पूर्व ही उसकी मृत्यु की सूचना रिटर्निंग अफसर को मिल जाय तो रिटर्निंग अफसर उसकी मृत्यु के समाचार के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने पर मतदान (poll) रद्द कर देगा (countermand);

और निर्वाचन सम्बन्धी सभी कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से ऐसे आरम्भ की जायेंगी मानो वे किसी नये निर्वाचन के लिये हों:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी उम्मीदवार की दशा में जिसका नाम निर्देशन मतदान रद्द करने के समय वैध रहा हो, किसी अन्य नाम निर्देशन की आवश्यकता न होगी;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने मतदान रद्द होने के पूर्व नियम १७ के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिये कोई नोटिस दिया हो, इस प्रकार मतदान समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित होने के निमित्त अपात्र (ineligible) न होगा।

मतदान

रिटर्निंग अफसर का शलाका-पत्रों को डाक द्वारा भेजना।

२२--(१) रिटर्निंग अफसर नियम २० के अधीन वैध नाम निर्देशनों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र प्रत्येक निर्वाचक के पास आकार-पत्र ८ में प्रवण प्रमाण-पत्र (certificate of posting) की डाक द्वारा एक शलाका-पत्र भेजेगा और इस प्रकार भेजे गये प्रत्येक शलाका-पत्र

Scanned with OKEN Scanner

के प्रतिपर्ण (counterfoil) में निर्वाचक का नाम, जिसे शलाका-पत्र भेजा गया है, तथा निर्वाचकों की सूची में दी हुई उसकी क्रम-संख्या अंकित करेगा। शलाका-पत्र में विवरण हिन्दी में छापे जायेंगे और उम्मीदवारों के नाम शलाका-पत्रों में उसी क्रम में मुद्रित होंगे, जिस क्रम में वे नियम २० के अधीन प्रकाशित वैध नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूची में दिये गये होंगे।

(२) शलाका-पत्रों के साथ-साथ रिटर्निंग अफसर :—

(क) आकार-पत्र ९ में एक आवरक (cover), जिस पर उसका (रिटर्निंग अफसर का) पता लिखा हो; और

(ख) एक लिफाफा जिसके ऊपर शलाका-पत्र की संख्या लिखी होगी, भी भेजेगा। रिटर्निंग अफसर आकार-पत्र ९ में आवरक के सब से नीचे बाईं तरफ के कोने पर शलाका-पत्र की संख्या लिख देगा।

(३) आवरक तथा लिफाफे के साथ-साथ शलाका-पत्र निर्वाचकों की सूची में दिये गये निर्वाचक के पते पर भेज दिया जायगा।

(४) इस नियम के अधीन सभी शलाका-पत्रों के जारी हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग अफसर उन सभी शलाका-पत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट को सील लगाकर बन्द कर देगा और ऐसे पैकेटों पर उसके भीतर रखे गये कागज-पत्रों का विवरण तथा उससे सम्बद्ध निर्वाचन का नाम लेखबद्ध करेगा।

(५) कोई भी निर्वाचन इस कारण अवैध नहीं होगा कि किसी निर्वाचक को उसका शलाका-पत्र नहीं मिला है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि शलाका-पत्र इन नियमों के अनुसार जारी किया गया हो।

शलाका-पत्रों पर मतदान और तत्पश्चात् उनका लौटाया जाना।

२३—(१) नियम २२ के अधीन भेजा गया अपना शलाका-पत्र प्राप्त होने पर प्रत्येक निर्वाचक, यदि वह निर्वाचन में मतदान करना चाहे, उस पर अपना मत अंकित करेगा और शलाका-पत्र दिये गये अनुदेशों के अनुसार उसके पृष्ठ पर उल्लिखित घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(२) निर्वाचक शलाका-पत्र को लिफाफे में रख कर उसे बन्द कर देगा और उसे आवरक में रखेगा तथा आवरक को पूर्वोक्त आदेशानुसार रिटर्निंग अफसर के पास डाक अथवा पत्र-वाहक द्वारा भेजेगा, जिससे वह नियम १२ के अधीन एतार्थ निर्धारित दिनांक को सायंकाल ५ बजे से पूर्व रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जाय। जो आवरक उस प्रकार निश्चित दिनांक को सायंकाल ५ बजे से पूर्व प्राप्त नहीं होगा, वह अस्वीकृत कर दिया जायगा। रिटर्निंग अफसर अस्वीकृत किये गये इन सब आवरकों को एक अलग पैकेट में मुहर लगा कर रखेगा और ऐसे आवरकों की एक सूची बनाई जायगी।

शलाका-पत्र पर निर्वाचक के हस्ताक्षरों का प्रमाणित किया जाना।

२४—निर्वाचक को शलाका-पत्र पर अपने हस्ताक्षर न कि अपना मत (vote) राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी गजटेड अफसर द्वारा प्रमाणित करा लेना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाणित करने वाले पदाधिकारियों द्वारा असक्त मतदाताओं को सहायता पहुंचाना।

२५--(१) यदि कोई निर्वाचक, जिसके पास नियम २२ के अधीन शलाका-पत्र भेजा गया हो, शारीरिक असमर्थता के कारण नियम २३ के उपबन्धों के अनुसार मत अभिलिखित करने और शलाका-पत्र के पृष्ठ की घोषणा पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो तो वह उस अधिकारी द्वारा जिसे नियम २४ के अधीन उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करने के अधिकार प्राप्त हों, अपना मत लिखवा सकता है और घोषणा पर हस्ताक्षर करवा सकता है।

(२) उपर्युक्त प्रत्येक निर्वाचक, रिटर्निंग अफसर से प्राप्त लिफाफ और आवरक सहित शलाका-पत्र को, प्रमाणित करने वाले अधिकारी को दे देगा तथा ऐसा अधिकारी निर्वाचक की प्रार्थना पर शलाका-पत्र के पृष्ठ पर निर्वाचक की असमर्थता को प्रमाणित करेगा और इस तथ्य को भी प्रमाणित करेगा कि निर्वाचक ने मुझसे यह अनुरोध किया था कि मैं उसकी ओर से शलाका-पत्र के पृष्ठ की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दूं तथा शलाका-पत्र पर उसका मत अभिलिखित कर दूं. उक्त अधिकारी यह भी लिखेगा कि मैंने निर्वाचक के इच्छानुसार शलाका-पत्र को चिन्हित किया है तथा निर्वाचक की उपस्थिति में ही शलाका-पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये हैं और चिन्ह बनाय है। तत्पश्चात् वह अधिकारी चिन्हित शलाका-पत्र को लिफाफे में रखेगा उसे बन्द करेगा और फिर उसे आवरक में रखकर तथा आवरक को मुहरबन्द करके निर्वाचक को दे देगा।

नये तथा ऐसे शलाका-पत्रों का दोबारा भेजा जाना जो संबद्ध व्यक्तियों को प्राप्त हुये हों।

२६--(१) जब नियम २२ के अधीन डाक द्वारा प्रेषित शलाका-पत्र तथा अन्य सम्बद्ध पत्रादि किसी कारणवश संबंधित व्यक्ति को बिना प्राप्त हुये वापस लौट जाय तो रिटर्निंग अफसर निर्वाचक की प्रार्थना पर उन्हें दोबारा स्वयं निर्वाचक को हाथों-हाथ दे सकता है।

(२) उन दशाओं में जब कोई निर्वाचक शलाका-पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि को भूल से इस रीति से प्रयुक्त कर ले कि उनका सुविधापूर्वक उपयोग न हो सके तो निर्वाचक द्वारा उस शलाका-पत्र तथा पत्रादि के रिटर्निंग अफसर को वापस कर दिये जाने पर तथा अपनी भूल के सम्बन्ध में उसका समाधान कर देने पर उसे दूसरा शलाका-पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि दे दिये जायेंगे तथा रिटर्निंग अफसर इस प्रकार लौटाये गये पत्रादि तथा शलाका-पत्र के प्रतिपर्ण पर रद्द करने का चिन्ह बना देगा। इस प्रकार रद्द किये गये पत्रादि, शलाका-पत्र के प्रतिपर्ण को छोड़कर एक अलग ऐसे लिफाफे में रख दिये जायेंगे, जो उसी प्रयोजन के लिये होगा।

मतदान अभिलिखित करने की रीति।

२७--(१) निर्वाचन में जितने स्थान भरे जायेंगे उतने ही प्रत्येक निर्वाचक के मत होंगे।

(२) ऐसा निर्वाचक अपना मतदान करते समय उन सभी उम्मीदवारों के, जिन्हें वह अपना मत देना चाहता हो, नाम के सामने दिये हुये स्थान पर × या + चिन्ह लगायेगा।

मत गणना तथा निर्वाचन फलों की घोषणा

मतगणना।

२८--(१) नियम १२ के अधीन शलाका-पत्रों को लौटाने के लिये निश्चित दिनांक के अगले दिन रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में मतगणना की जायगी और मतगणना पूर्वान्ह १० बजे प्रारम्भ होगी।

Scanned with OKEN Scanner

(२) रिटर्निंग अफसर और उसके आज्ञानुसार मतगणना में सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी उम्मीदवार और प्रत्येक उम्मीदवार का एक-एक अभिकर्ता, जिसे इस सम्बन्ध में लिखित रूप से अधिकृत किया गया हो, किन्तु कोई अन्य व्यक्ति नहीं, मतगणना के स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं ।

२९––ऐसा शलाका-पत्र अवैध होगा, जिसमें–– शलाका-पत्रों को अवैध करने के लिये आधार ।

(क) किसी भी उम्मीदवार के नाम के सामने X या + चिन्ह न बनाया गया हो;

(ख) निर्वाचन में भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक संख्या में उम्मीदवारों के नाम के सामने X अथवा + का चिन्ह लगाया गया हो;

(ग) कोई ऐसा चिन्ह बना दिया गया हो जिससे निर्वाचक की बाद में पहिचान की जा सके;

(घ) निर्वाचक के हस्ताक्षर नियमानुसार प्रमाणित न किये हों; अथवा

(ङ) किसी कारण से यह निश्चित न हो सके कि किस उम्मीदवार या किन उम्मीदवारों को निर्वाचक मत देना चाहता था :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ङ) के अधीन किसी मामले में यदि चिन्ह X अथवा + की कुल संख्या भरी जाने वाली जगहों की संख्या से अधिक न हो और साथ हो साथ किसी उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये मत के बारे में अनिश्चितता भी न हो तो शलाका–पत्र पूर्णतः अवैध न होगा, और वह प्रत्येक उस उम्मीदवार के सम्बन्ध में, जिसके बारे में ऐसी अनिश्चितता न हो, वैध होगा ।

३०––(१) नियम २८ में उल्लिखित दिनांक और समय तथा स्थान पर रिटर्निंग अफसर नियम १२ के अधीन शलाका–पत्रों की वापसी के लिए निश्चित दिनांक पर सायंकाल ५ बजे से पूर्व, नियम २३ के अधीन अपने द्वारा प्राप्त शलाका–पत्रों का लिफाफा खोलेगा तथा उसमें से शलाका–पत्रों को निकालेगा और तत्पश्चात् लिफाफे से निकाले गये शलाका–पत्रों की जांच करेगा और उसमें से उन शलाका–पत्रों को, जिन्हें वह वैध समझता हो, ऐसे शलाका–पत्रों से अलग कर लेगा, जिन्हें वह अस्वीकार करेगा । रिटर्निंग अफसर अस्वीकृत शलाका–पत्रों पर शब्द "अस्वीकृत" पृष्ठांकित करेगा और उन कारणों को लिखेगा जिनके आधार प शलाका–पत्र अस्वीकृत किये गये हैं । मतगणना के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।

(२) तदुपरान्त रिटर्निंग अफसर प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये वै मतों की, जैसी कि उन शलाका–पत्रों पर अभिलिखित हों, जिन्हें उसने अ स्वीकार न किया हो, गणना करवायेगा ।

(३) यदि नियत दिन की सायंकाल ६ बजे तक मतगणना पूरी न हो तो रिटर्निंग अफसर दूसरे दिन पूर्वान्ह १० बजे तक के लिये मतगणना की कार्यवाही स्थगित कर सकता है और ऐसी दशा में निर्वाचन सम्बन्धी सभी लेख्यों (documents) को अपनी तथा उम्मीदवारों अथवा उनके अभिकर्ताओं की, यदि कोई उपस्थित हों और अपनी मुहरबन्द लगाना चाहें,

Scanned with OKEN Scanner

मुहर लगाकर रखेगा और आलेख्य की सुरक्षा के लिये उचित पूर्वोपाय (precaution) भी करेगा। रिटर्निंग अफसर उसी रीति से दिन प्रतिदिन कार्यवाहियों को तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि मतगणना समाप्त न हो जाय।

(४) मतगणना समाप्त होने के पश्चात् रिटर्निंग अफसर स्वत: अथवा किसी ऐसे उम्मीदवार की, जिसके लिये मत डाले गये हों अथवा उसके अभिकर्ता की प्रार्थना पर, मतों की पुनर्गणना करवा सकता है।

विवरण-पत्र की तैयारी।

३१--(१) गणना, अथवा यदि पुनर्गणना हो तो पुनर्गणना समाप्त होने पर रिटर्निंग अफसर आकार-पत्र १० में एक विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्योरे दिये होंगे :

(क) उम्मीदवारों के नाम, जिन्हें वैध मत दिये गये थे;

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या; और

(ग) अस्वीकृत शलाका-पत्रों की संख्या,

और प्रत्येक उम्मीदवार अथवा उसके प्रतिनिधि को विवरण-पत्र को प्रतिलिपि अथवा उसका संक्षिप्त अंश (abstract) लेने की अनुमति दे देगा।

निर्वाचन-फल की घोषणा।

३२--नियम ३१ में उल्लिखित विवरण-पत्र में रिटर्निंग अफसर अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाले उतने समस्त उम्मीदवारों के नाम जितने स्थान भरे जाने को हों, अभिलिखित करेगा और उन्हें निर्वाचित घोषित करेगा तथा विधिवत निर्वाचित उम्मीदवारों के रूप में उनके नामों को प्रख्यापित करेगा।

बराबर-बराबर संख्या में मत प्राप्त होने की दशा में निर्णय।

३३--यदि किन्हीं उम्मीदवारों ने बराबर-बराबर संख्या में मत प्राप्त किये हों और एक अतिरिक्त मत मिलने से कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकता हो तो इस बात का निर्णय कि किसे यह अतिरिक्त मत दिया हुआ समझा जाय लाटरी डालकर किया जायगा। यह लाटरी उम्मीदवारों अथवा उनके अभिकर्ताओं के सामने, जो उस समय उपस्थित हों, रिटर्निंग अफसर द्वारा निकाली जायगी।

परिणाम संबंधी विज्ञप्ति।

३४--रिटर्निंग अफसर राज्य सरकार को प्रपत्र १० में विवरण की एक प्रति प्रेषित करके उसे निर्वाचन का फल सूचित करेगा और राज्य सरकार निर्वाचित सदस्यों के नाम विज्ञापित करेगी।

विविध

निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों का निरीक्षण तथा उनकी प्रतिलिपियां।

३५--(१) रिटर्निंग अफसर निर्वाचन सम्बन्धी कागज-पत्रों का निस्तारण उस रीति से करेगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(२) शलाका-पत्रों, चाहे वे वैध हों अथवा अस्वीकृत, के पैकेट तथा उनके प्रतिपर्णों के पैकेट नहीं खोले जायेंगे और न उन पैकेटों में रखे हुए कागज-पत्रों की किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी द्वारा जांच ही की जायगी और न उन्हें उसके समक्ष प्रस्तुत ही किया जायगा जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) इस सम्बन्ध में आज्ञा न दे।

Scanned with OKEN Scanner

(३) निर्वाचन से सम्बद्ध अन्य समस्त कागज-पत्र उस शुल्क के भुगतान पर, जिसे राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, निर्दिष्ट करे, सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे।

(४) रिटर्निंग अफसर द्वारा (निर्मित) नियम ३४ के अधीन अग्रसारित विवरण-पत्रों की प्रतियां तथा उपनियम (१) में उल्लिखित निर्वाचन सम्बन्धी कागज-पत्रों से भिन्न किसी अन्य कागज-पत्र की प्रतियाँ उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी अभिरक्षा में वे कागज-पत्र हों, ऐसे शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध करायी जायगी, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

निक्षेप की वापसी तथा जब्ती।

३६--(१) यदि रिटर्निंग आफिसर किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन अस्वीकार कर दे तो नियम १४ के अधीन निक्षिप्त धनराशि को लौटाने के आदेश नाम निर्देशन अस्वीकार करते समय ही कर दिये जायेंगे।

(२) यदि मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाय तो नियम १४ के अधीन निक्षिप्त धनराशि, यदि वह स्वयं उम्मीदवार द्वारा ही जमा की गई है तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को अथवा, यदि धनराशि उसके द्वारा निक्षिप्त नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को वापस कर दी जायगी जिसने उसे जमा किया हो।

(३) यदि निर्वाचन के लिये नाम निर्देशित कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित न हो सके और उसके द्वारा प्राप्त मतों की संख्या दिये गये मतों की कुल संख्या के सप्तमांश से, अथवा एकाधिक सदस्यों के निर्वाचन की दशा में दिये गये मतों की कुल संख्या को निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल के छठें भाग से, अधिक न हो, तो नियम १४ के अधीन निक्षिप्त धनराशि बोर्ड के पक्ष में जब्त हो जायगी।

(४) उपनियम (३) के प्रयोजन के निमित्त दिये गये मतों की संख्या उन समस्त शलाका-पत्रों की संख्या के बराबर समझी जायगी जिनकी गणना की गई हो और अस्वीकृत (rejected) शलाका-पत्रों से भिन्न हो।

(५) पूर्वगामी उपनियम तथा नियम १८ के अन्तर्गत न आने वाले मामलों में नियम १४ के अधीन निक्षिप्त प्रत्येक धनराशि सरकारी गजट में निर्वाचन का फल प्रकाशित हो जाने के पश्चात् उम्मीदवार को अथवा उस व्यक्ति को, जिसने धनराशि जमा की हो, वापस कर दी जायगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उम्मीदवार सामान्य निर्वाचन में एकाधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये नाम निर्देशन हुआ हो तो उसके द्वारा जमा की गई अथवा उसकी ओर से जमा की गई एक से अधिक धनराशि उसे वापस न की जायगी तथा शेष धनराशि बोर्ड के प्रति जब्त हो जायगी।

आकस्मिक रिक्तियों की सूची।

३७--किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाये जाने अथवा किसी अन्य कारणवश बोर्ड के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर यथाशक्य शीघ्र रजिस्ट्रार राज्य सरकार को रिक्त स्थान की सूचना देगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बोर्ड ने अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन यह आदेश दिया हो कि रिक्त स्थान की

Scanned with OKEN Scanner

(३) निर्वाचन से सम्बद्ध अन्य समस्त कागज-पत्र उस शुल्क के भुगतान पर, जिसे राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, निर्दिष्ट करे, सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे।

(४) रिटर्निंग अफसर द्वारा (निर्मित) नियम ३४ के अधीन अग्रसारित विवरण-पत्रों की प्रतियां तथा उपनियम (१) में उल्लिखित निर्वाचन सम्बन्धी कागज-पत्रों से भिन्न किसी अन्य कागज-पत्र की प्रतियाँ उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी अभिरक्षा में वे कागज-पत्र हों, ऐसे शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध करायी जायगी, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

निक्षेप की वापसी तथा जब्ती।

३६--(१) यदि रिटर्निंग आफिसर किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन अस्वीकार कर दे तो नियम १४ के अधीन निक्षिप्त धनराशि को लौटाने के आदेश नाम निर्देशन अस्वीकार करते समय ही कर दिये जायेंगे।

(२) यदि मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाय तो नियम १४ के अधीन निक्षिप्त धनराशि, यदि वह स्वयं उम्मीदवार द्वारा ही जमा की गई है तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को अथवा, यदि धनराशि उसके द्वारा निक्षिप्त नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को वापस कर दी जायगी जिसने उसे जमा किया हो।

(३) यदि निर्वाचन के लिये नाम निर्देशित कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित न हो सके और उसके द्वारा प्राप्त मतों की संख्या दिये गये मतों की कुल संख्या के सप्तमांश से, अथवा एकाधिक सदस्यों के निर्वाचन की दशा में दिये गये मतों की कुल संख्या को निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल के छठें भाग से, अधिक न हो, तो नियम १४ के अधीन निक्षिप्त धनराशि बोर्ड के पक्ष में जब्त हो जायगी।

(४) उपनियम (३) के प्रयोजन के निमित्त दिये गये मतों की संख्या उन समस्त शलाका-पत्रों की संख्या के बराबर समझी जायगी जिनकी गणना की गई हो और अस्वीकृत (rejected) शलाका-पत्रों से भिन्न हो।

(५) पूर्वगामी उपनियम तथा नियम १८ के अन्तर्गत न आने वाले मामलों में नियम १४ के अधीन निक्षिप्त प्रत्येक धनराशि सरकारी गजट में निर्वाचन का फल प्रकाशित हो जाने के पश्चात् उम्मीदवार को अथवा उस व्यक्ति को, जिसने धनराशि जमा की हो, वापस कर दी जायगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उम्मीदवार सामान्य निर्वाचन में एकाधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये नाम निर्देशन हुआ हो तो उसके द्वारा जमा की गई अथवा उसकी ओर से जमा की गई एक से अधिक धनराशि उसे वापस न की जायगी तथा शेष धनराशि बोर्ड के प्रति जब्त हो जायगी।

आकस्मिक रिक्तियों की सूची।

३७--किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाये जाने अथवा किसी अन्य कारणवश बोर्ड के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर यथाशक्य शीघ्र रजिस्ट्रार राज्य सरकार को रिक्त स्थान की सूचना देगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बोर्ड ने अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन यह आदेश दिया हो कि रिक्त स्थान की

Scanned with OKEN Scanner

पूर्ति न की जाय तो रजिस्ट्रार उस संकल्प (resolution) की भी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा, जिसके अनुसार उक्त आदेश दिया गया है ।

आकस्मिक रिक्ति-पूर्ति की अवधि ।

३८—वह अवधि, जिसके भीतर अधिनियम की धारा १३ के अधीन किसी रिक्ति की पूर्ति की जायगी, रिक्ति होने के दिनांक से तीन महीने तक की होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पर्याप्त कारण होने पर राज्य सरकार उक्त अवधि को अधिकाधिक ५ महीने तक बढ़ाने की आज्ञा दे सकती है ।

दिनांक, जिस तक निर्वाचन पूरा किया जायगा ।

३९—यदि कोई निर्वाचक निकाय (electoral body) नियम १२ के उपनियम (१) के अधीन निश्चित दिनांक या ऐसे दिनांक में नियम ४० के अधीन परिवर्तन किया गया हो तो परिवर्तित दिनांक तक किसी रिक्ति की पूर्ति के लिये अपेक्षित संख्या में सदस्य अथवा सदस्यों का निर्वाचन न करे अथवा रिक्ति की पूर्ति न करे, तो राज्य सरकार अधिनियम की धारा ६ के अधीन सदस्य अथवा सदस्यों को नाम निर्देशित करेगी ।

आपात की स्थिति में दिनांकों में परिवर्तन करना ।

४०—(१) नियम ३८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार किसी गम्भीर आपत्ति की स्थिति में अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से नियम १२ के उपनियम (१) के अधीन विज्ञापित दिनांक को बढ़ा सकती है ।

(२) नियम १२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये रिटर्निंग अफसर किसी गम्भीर आपत्ति की परिस्थिति में अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से नियम १२ के उपनियम (२) के अधीन विज्ञापित दिनांकों में परिवर्तन कर सकता है ।

(३) मूलतः विज्ञापित दिनांकों के व्यतीत होने के पश्चात् भी उपर्युक्त रूप से दिनांकों को बढ़ाया तथा उनमें परिवर्तन किया जा सकता है ।

वे स्थान, जिनकी पूर्ति होने से रह गयी हो ।

४१—(१) यदि किसी निर्वाचन में, जो अधिनियम की धारा ५, उपधारा (१) के खंड (४), (५) अथवा (६) के अधीन हुआ हो, नाम निर्देशन न होने के कारण अथवा निर्देशन की अस्वीकृति (rejection) के कारण किसी स्थान की पूर्ति होने से रह गई हो तो रिटर्निंग अफसर तुरन्त ही इस बात की सूचना राज्य सरकार को देगा ।

(२) उपनियम (१) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार नियम ३८ के उपबन्धों के अधीन उसी तरह से नये सिरे से कार्यवाही आरम्भ कर सकती है मानो नया चुनाव हो ।

रिटर्निंग अफसर का सूचना-प्राप्ति अधिकार ।

४१-क—रिटर्निंग अफसर इन नियमों के अधीन अपने कर्त्तव्य पालन करने के लिये बोर्ड के अध्यक्ष अथवा रजिस्ट्रार को ऐसी सूचना अथवा लेख (documents), जिसे वह आवश्यक समझे और जो अध्यक्ष अथवा रजिस्ट्रार के पास हों, देने को कह सकता है और अध्यक्ष अथवा रजिस्ट्रार, जो भी सम्बन्धित हों, ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा ।

निर्वाचन संबंधी विवाद

निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति ।

४२—अधिनियम की धारा ५ के अधीन उपधारा (१) के खंड (४), (५) अथवा (६) के अधीन बोर्ड के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में कोई आपत्ति न की जाय। सिवाय उस दशा में जबकि इन नियमों के अनुसार कोई निर्वाचन-याचिका प्रस्तुत की जाय ।

Scanned with OKEN Scanner

४३--(१) कोई भी असफल उम्मीदवार या वह उम्मीदवार, जिसका नाम निर्देशन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो अथवा कोई भी निर्वाचक निर्वाचनफल के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक के बाद ३० दिन के भीतर नियम ४२ के अधीन निर्वाचन-याचिका प्रस्तुत कर सकता है। याचिका प्रस्तुत करने की अवधि तथा रीति।

(२) याचिका या तो याचिकादाता स्वयं अथवा यदि याचिकादाता एक से अधिक हों तो उनमें से कोई एक या एकाधिक प्रस्तुत करेंगे।

(३) याचिका लखनऊ के जिला जज को प्रस्तुत की जायगी।

४४--निर्वाचन याचिका में वह या वे कारण दिये गये होंगे जिनके आधार पर निर्वाचित (returned) उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई है और उसमें संक्षेप में उन परिस्थितियों का भी उल्लेख होगा जिनके आधार पर निर्वाचन के संबंध में आपत्ति करना उचित बतलाया गया है। याचिका में उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का भी विवरण होगा जो निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये गये हों और यदि याचिका में यह दावा किया गया हो कि उस व्यक्ति के स्थान पर, जिसके निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई है, कोई अन्य व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जायगा तो याचिका में प्रत्येक असफल उम्मीदवार को प्रतिवादी (respondent) बनाया जायगा। याचिका का अधिकार-पत्र इत्यादि।

४५--याचिकादाता निम्नलिखित घोषणाओं में से किसी एक के लिये दावा कर सकता है :-- परितोष, जिसके लिये याचिका में दावा किया जा सकता है।

(क) निर्वाचित (returned) उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है,

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है और या तो वह स्वयं अथवा कोई अन्य उम्मीदवार नियमानुसार (duly) निर्वाचित किया गया है।

४६--(१) निर्वाचन-याचिका को प्रस्तुत करते समय याचिकादाता उसके साथ एक ऐसी रसीद भी नत्थी कर देगा, जिसमें यह दिखाया गया हो कि याचिका व्यय के लिए उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से सरकारी खजाने में अथवा भारत के राजकीय बैंक (State Bank of India) में प्रतिभूति (security) के रूप में २०० रुपये की राशि जमा कर दी गई है। प्रतिभूति तथा न्याय-शुल्क।

(२) निर्वाचन-याचिका पर अदालती टिकटों के रूप में एक सौ रुपये फीस अदा की जायगी।

४७--अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४), (५) अथवा (६) के अधीन बोर्ड के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक आधारों पर आपत्ति की जा सकती है, अर्थात् किसी निर्वाचन के संबंध में कार्यवाही करने के आधार।

(क) निर्वाचित (returned) उम्मीदवार ने नियम ४८ के अर्थ में किसी भ्रष्टाचरण का व्यवहार किया है,

(ख) किसी भी उम्मीदवार का नाम निर्देशन-पत्र गलती से अस्वीकृत किया गया है अथवा किसी सफल उम्मीदवार का नाम निर्देशन-पत्र गलती से स्वीकृत किया गया है,

Scanned with OKEN Scanner

(ग) निम्नलिखित तथ्यों के कारण निर्वाचन फल पर सारवान् प्रभाव पड़ा है—

(१) किसी मत (वोट) को अनुचित ढंग से अस्वीकार अथवा लेने से इंकार किया गया है,

(२) अधिनियम के उपबन्धों का अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है ।

(घ) सफल उम्मीदवार को एक या अधिक मतों को अनुचित रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के फलस्वरूप निर्वाचित घोषित किया गया है ।

भ्रष्टाचार

४८—यदि कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—

(१) किसी मतदाता का कपट से, जानबूझकर गलत बातें बताकर, दबाव डालकर या चोट पहुंचाने की धमकी देकर किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने अथवा न देने के लिये प्रेरित करे अथवा प्रेरित करने का प्रयास करे ।

(२) किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने अथवा न देने के लिये प्रेरित करने की दृष्टि से कोई धन या मूल्यवान प्रतिफल (valuable consideration) या, कोई स्थान अथवा नौकरी दे या देने को कहे अथवा किसी व्यक्ति को उसका निजी लाभ या फायदा करा देने के लिये कहे कोई वचन दें ।

(३) किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से, जो वास्तव में मत देने वाला व्यक्ति न हो, मत दे या उसकी ओर से दिलवाये तो यह समझा जायगा कि उसने भ्रष्टाचरण का व्यवहार किया है ।

किसी स्थान की प्राप्ति के दावे पर प्रत्यारोपण ।

४९—(१) यदि किसी निर्वाचन-याचिका में इस आशय की किसी घोषणा का दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवारों से भिन्न कोई उम्मीदवार नियमानुसार चुना गया है तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्ष इस बात को सिद्ध करने का साक्ष्य दे सकता है कि यदि वह उम्मीदवार निर्वाचित हो गया होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गई होती तो उसका निर्वाचन शून्य हो जाता ।

याचिका का परीक्षण ।

५०—न्यायाधिकरण जिसमें लखनऊ का जिला जज, अथवा ऐसा कोई अन्य जिला जज होगा, जिसे उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार नाम निर्देशित करे, ऐसे स्थान पर याचिका का परीक्षण करेगा (scrutinize) जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ।

न्यायाधिकरण में कार्य-विधि ।

५१—(१) जिस सीमा तक इस अधिनियम में अथवा इस आज्ञा में अन्यत्र व्यवस्था की गई है उसे छोड़कर व्यवहार वादों (suits) के सम्बन्ध में सिविल प्रोसीजर कोड में उपबन्धित प्रक्रिया का, जहां तक कि वह अधिनियम अथवा इस आज्ञा के किन्हीं उपबन्धों से असंगत न हो और जहां तक उसे लागू

Scanned with OKEN Scanner

किया जा सके, निर्वाचन-याचिका की सुनवाई के सम्बन्ध में अनुसरण किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) यदि किन्हीं दो या अधिक निर्वाचन याचिकाओं का संबंध एक ही व्यक्ति से हो, तो उनकी सुनवाई एक साथ की जा सकती है,

(ख) न्यायाधिकरण के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह गवाहों के बयान पूरी तरह लिखे अथवा लिखवाये, किन्तु वह गवाहियों के बयान का एक ऐसा ज्ञापक (memorandum) तैयार करेगा जो उसकी राय में मुकदमे में निर्णय देने के लिए पर्याप्त हो;

(ग) न्यायाधिकरण कार्यवाही के किसी भी चरण में याचिका-दाता को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्ययों (costs) का, जो किसी प्रतिवादी (respondent) द्वारा किये गये हों अथवा जिनके किये जाने की संभावना हो, भुगतान करने के लिये और अधिक नकद जमानत दे;

(घ) किसी विषय पर निर्णय देने के प्रयोजनार्थ न्यायाधिकरण से यह अपेक्षा की जायगी कि वह केवल उतना ही साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो अथवा लिखित रूप में, प्रस्तुत करने की आज्ञा दे अथवा ग्रहण करे, जितना वह आवश्यक समझे;

(ङ) तथ्य अथवा विधि के प्रश्न पर न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) न होगा;

(च) यदि कोई व्यक्ति यह समझता हो कि न्यायाधिकरण के निर्णय से वह क्षुब्ध है तो निर्णय के दिनांक से १५ दिन के भीतर उसके द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर न्यायाधिकरण किसी विषय पर अपने निर्णय का पुनर्विलोकन (review) कर सकता है।

(२) निर्वाचन याचिका के परीक्षण के सम्बन्ध में इंडियन एविडेन्स ऐक्ट, १८७२ के उपबन्ध सभी प्रकार से लागू समझे जायेंगे।

याचिका की वापसी।

५२--(१) निर्वाचन याचिका के परीक्षण के लिए किसी न्यायाधिकरण को नियुक्त करने के पूर्व याचिकादाता अथवा याचिकादाताओं द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, जिला जज, लखनऊ को प्रार्थना-पत्र देकर वह वापस ली जा सकती है। प्रार्थना-पत्र में याचिका वापस लेने के अभिप्राय का उल्लेख किया जायगा। इस प्रकार प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर याचिका वापस ली हुई समझी जायगी और उसके परीक्षण के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

(२) निर्वाचन याचिका के परीक्षणार्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के पश्चात् याचिका न्यायाधिकरण की अनुमति से उपर्युक्त प्रकार से प्रार्थना-पत्र देकर वापस की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

याचिकाओं की समाप्ति ।

५३--(१) कोई निर्वाचन याचिका, जिसमें नियम ४५ के खंड (क) में उल्लिखित घोषणा का दावा किया गया है, निर्वाचित (returned) उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर स्वतः समाप्त हो जायगी ।

(२) मुख्य याचिकादाता अथवा सभी याचिकादाताओं की मृत्यु हो जाने पर निर्वाचन याचिका समाप्त हो जायगी ।

(३) यदि निर्वाचन याचिका के नियम ४५ के खंड (ख) में उल्लिखित घोषणा का दावा किया गया हो और निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो गई हो तो न्यायाधिकरण उस घटना की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करवायेगा । और तत्पश्चात इस पर कोई भी व्यक्ति, जो याचिकादाता रहा हो, प्रकाशन के १४ दिन के भीतर याचिका का विरोध करके निर्वाचित उम्मीदवार का स्थान ग्रहण करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और ऐसे निर्बन्धनों (terms) पर कार्यवाहियां जारी रख सकता है, जिन्हें न्यायाधिकरण उचित समझे ।

न्यायाधिकरण के अधिकार ।

५४--(१) न्यायाधिकरण की शक्तियां (powers) तथा विशेषाधिकार वही होंगे जो दिवानी न्यायालय के जज के होते हैं और वह नोटिस तामील करने अथवा किसी आदेशिका (process) को जारी करने और इसी प्रकार का अन्य कोई कार्य करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से किसी चपरासी या अन्य आफिसर या क्लर्क को, जो जिला मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से सम्बद्ध हो, अपने पास रख सकता है ।

(२) यदि यह पता चले कि याचिका तुच्छ (frivolous) है तो न्यायाधिकरण यह आदेश दे सकता है कि राज्य सरकार प्रतिभूत (security) को अथवा उसके किसी अंश को जब्त कर लेगी ।

(३) निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा दी गई व्यय (costs) देने की आज्ञा का निष्पादन किसी भी मुन्सिफ द्वारा, जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह व्यक्ति जिसको व्यय देने की आज्ञा हुई है, रहता है या काम करके लाभ उठाता है, उसी प्रकार किया जायगा मानो वह आज्ञा उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे व्यय दिलाये गये हैं, उक्त मुन्सिफ द्वारा जारी की गई कोई डिग्री हो ।

न्यायाधिकरण की आज्ञायें ।

५५--(१) यदि न्यायाधिकरण को ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझे, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसके निर्वाचन के विरुद्ध याचिका देकर आपत्ति की गई हो, यह पता चले कि उसका चुनाव वैध है तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध दी गई याचिका को खारिज कर देगा और स्वविवेकानुसार व्यय दिलवायेगा ।

(२) यदि न्यायाधिकरण को यह पता चले कि किसी व्यक्ति का चुनाव अवैध है वह या तो यह घोषित करेगा कि--

(क) कोई आकस्मिक रिक्तता (casual vacancy) हो गई है, अथवा

(ख) कोई दूसरा उम्मीदवार नियमानुसार निर्वाचित हुआ है और दोनों ही दशाओं में स्वविवेकानुसार व्यय दिलवायेगा ।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

५६--यदि निर्वाचन याचिका देने वाला कोई व्यक्ति, जिसमें निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति करने के अतिरिक्त इस बात की घोषणा का भी दावा किया हो कि वह स्वयं या अन्य कोई उम्मीदवार यथावत् निर्वाचित हुआ है और न्यायाधिकरण का यह मत हो कि वास्तव में याचिकादाता या उस अन्य उम्मीदवार को वैध मतों का बहुमत प्राप्त हुआ है तो न्यायाधिकरण निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य (void) घोषित करने के पश्चात् प्रार्थी या उस अन्य उम्मीदवार को, जैसी भी स्थिति हो, यथावत् निर्वाचित घोषित कर सकता है :

(वे आधार, जिन के कारण सफल उम्मीदवार से भिन्न किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है ।)

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि याचिकादाता या ऐसा अन्य उम्मीदवार यथावत् निर्वाचित घोषित नहीं किया जायगा यदि यह सिद्ध हो जाय कि यदि वह निर्वाचित हो गया होता और उसके निर्वाचन के संबंध में याचिका प्रस्तुत की गई होती तो उसका निर्वाचन शून्य हो जाता ।

५७--यदि किसी निर्वाचन याचिका के परीक्षण के दौरान में यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में किन्हीं उम्मीदवारों को बराबर-बराबर मत प्राप्त हुए हैं और यदि उनमें से किसी के भी पक्ष में एक मत बढ़ा दिया जाय तो वह निर्वाचित घोषित हो जायगा तो--

(मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया ।)

(क) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रिटर्निंग अफसर द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहाँ तक वह उस प्रश्न को उन उम्मीदवारों के मध्य निर्धारित करता हो, याचिका के प्रयोजनों के लिये भी प्रभावी होगा, और

(ख) यदि वह प्रश्न उक्त निर्णय से निर्धारित न होता हो तो न्यायाधिकरण लाटरी डाल कर उसका निर्णय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानो जिस उम्मीदवार के पक्ष में लाटरी निकली है उसने एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया है ।

५८--नियम ५५ के उपनियम (२) के अधीन न्यायाधिकरण की आज्ञा उसके दिये जाने के दिनांक के अगले दिन से प्रभावी होगी ।

(न्यायाधिकरण की आज्ञा का प्रभावी होना ।)

५९--(१) न्यायाधिकरण नियम ५५ के अधीन दी गई आज्ञा घोषित करने के पश्चात् यथाशीघ्र उसकी एक प्रतिलिपि राज्य सरकार के पास भेज देगा ।

(आज्ञा की सूचना देना और अभिलेख भेजना ।)

(२) न्यायाधिकरण मामले के अभिलेख को ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ।

(३) राज्य सरकार अभिलेख के लेख्यों (documents) की प्रतिलिपियां शुल्क देने पर देने की व्यवस्था करेगी ।

६०--(१) नियम ५४ के उपनियम (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अधिकरण द्वारा किसी प्रतिवादी को दिये जाने वाला व्यय, यदि कोई हो, नियम ४६ और ५१ के अधीन प्रतिभूति निक्षेप (security deposits) से वसूल किया जा सकेगा, और प्रतिभूति निक्षेप का शेष (balance), यदि कोई हो, प्रार्थी को वापस कर दिया जायगा ।

(प्रतिभूति निक्षेप का निस्तारण (disposed) और व्यय की वसूली ।)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(२) वह व्यय, या उसका कोई भाग जो किसी प्रतिवादी को दिलाया गया हो किन्तु उपनियम (१) में उल्लिखित प्रतिभूति निक्षेप से वसूल न किया गया हो और व्यय जो किसी प्रतिवादी द्वारा किसी याचिकादाता को देय हो, नियम ५४ के उपनियम (३) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किया जा सकेगा।

(३) नियम ५५ के अधीन आज्ञा देते समय न्यायाधिकरण इस नियम के उपबन्धों के अनुसार व्ययों की वसूली और प्रतिभूति निक्षेप की वापसी के संबंध में भी आज्ञा देगा।

आकार-पत्र १

उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड वैद्य/हकीमों की सूची

.......निर्वाचन क्षेत्र

(नियम २)

क्रम-संख्या	नाम	पिता का नाम	पति का नाम	रजिस्ट्रेशन संख्या	पता

आकार-पत्र की प्रविष्टियों में इस प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिससे वे रजिस्टर की प्रविष्टियों के समान हो जाय।

आकार-पत्र २

उत्तर प्रदेश की सम्बद्ध आयुर्वेदिक/यूनानी* शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की सूची

(नियम ३)

क्रम-संख्या	नाम	पिता का नाम	पति का नाम	क्रम संख्या, जिसमें काम कर रहा/रही हो	पता

आकार-पत्र ३

नाम-निर्देशन-पत्र

[नियम १३ (१)]

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ की (१) के खंड (४) (५), (६) के अधीन निर्वाचन

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम————————

१——उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में)————————

२——पिता/पति का नाम————————

३——पता————————

४——आकार-पत्र १/२* की निर्वाचक सूची में उम्मीदवार की क्रम-संख्या————

५——रजिस्ट्रेशन संख्या————————

६——प्रस्तावक का नाम————————

७——आकार-पत्र १/२* की सूची में प्रस्तावक की क्रम-संख्या————

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

८—प्रस्तावक के हस्ताक्षर———————————————
९—अनुमोदक का नाम ———————————————
१०—आकार-पत्र १/२* की सूची में अनुमोदक की क्रम-संख्या———————
११—अनुमोदक के हस्ताक्षर———————————————

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं इस नाम निर्देशन से सहमत हूं।

दिनांक——————————

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(रिटर्निंग अफसर के भरने के लिये)

क्रम-संख्या——————————

नाम-निर्देशन-पत्र की प्राप्ति का दिनांक तथा समय ——————————

रिटर्निंग अफसर

आकार-पत्र ४

[नियम १३ (४)]

यू० पी० इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा (५) की उपधारा (१) के खंड (४, (५), (६)* के अधीन निर्वाचन के लिये निर्देशनों की नोटिस समय से प्राप्त हुई

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम——————————

क्रम-संख्या———————————————
उम्मीदवार का नाम———————————————
पिता या पति का नाम———————————————
रजिस्ट्रेशन संख्या†———————————————
पता———————————————
प्रस्तावक का नाम———————————————
आकार-पत्र १/२* की सूची में प्रस्तावक की क्रम-संख्या———————
अनुमोदक का नाम———————————————

आकार-पत्र १/२* की सूची में अनुमोदक की क्रम-संख्या

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

†केवल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन निर्वाचन की दशा में।

आकार-पत्र ५

(नियम १६)

वैध नाम-निर्देशनों की सूची का आकार-पत्र

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४), (५), (६) *के अधीन निर्वाचन

Scanned with OKEN Scanner

८—प्रस्तावक के हस्ताक्षर————————————

९—अनुमोदक का नाम————————————

१०—आकार-पत्र १/२* की सूची में अनुमोदक की क्रम-संख्या————————

११—अनुमोदक के हस्ताक्षर————————————

————————————————————————

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं इस नाम निर्देशन से सहमत हूं ।

दिनांक————————

————————
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

————————————————————————

(रिटर्निंग अफसर के भरने के लिये)

क्रम-संख्या————————

नाम-निर्देशन-पत्र की प्राप्ति का दिनांक तथा समय ————————

————————
रिटर्निंग अफसर

————————————————————————

आकार-पत्र ४

[नियम १३ (४)]

यू० पी० इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा (५) की उपधारा (१) के खंड (४, (५), (६)* के अधीन निर्वाचन के लिये निर्देशनों की नोटिस समय से प्राप्त हुई

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम————————

————————————————————————

क्रम-संख्या————————

उम्मीदवार का नाम————————

पिता या पति का नाम————————

रजिस्ट्रेशन संख्या†————————

पता————————

प्रस्तावक का नाम————————

आकार-पत्र १/२* की सूची में प्रस्तावक की क्रम-संख्या————————

अनुमोदक का नाम————————

————————————————————————

आकार—पत्र १/२* की सूची में अनुमोदक की क्रम-संख्या

————————————————————————

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये ।

†केवल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन निर्वाचन की दशा में ।

————————————————————————

आकार-पत्र ५

(नियम १६)

वैध नाम-निर्देशनों की सूची का आकार-पत्र

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४), (५), (६) *के अधीन निर्वाचन

Scanned with OKEN Scanner

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों की अन्तिम सूची

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम ----------------------------

क्रम-संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता
१	२	३
१		
२		
३		
४		
५		
६		
इत्यादि		

रिटर्निंग आफिसर

आकार-पत्र ६

(नियम १७)

उम्मीदवारी की वापसी की नोटिस का आकार-पत्र

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

[यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ की उपधारा १ के खंड (४, ५, ६)* के अधीन निर्वाचन]

--निर्वाचन क्षेत्र †

उपर्युक्त निर्वाचन के नाम निर्देशित उम्मीदवार मैं------------निवासी------------------------------एतद्द्वारा नोटिस देता हूं कि मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं।

दिनांक------------------१९६ ई०

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

†केवल अधिनियम की धारा २ के उपनियम (१) के खंड ६ के अधीन निर्वाचन की दशा में।

(कार्यालय में भरने के लिए)

उम्मीदवार की वापिसी की/का यह नोटिस------------------उम्मीदवार/उम्मीदवार के प्रस्तावक, अनुमोदक, अभिकर्ता (ऐजेन्ट), जिसे उम्मीदवार ने नोटिस देने के लिए अधिकृत किया है, द्वारा मुझे/मेरे कार्यालय में दिनांक---------------को ---------------बजे दी गयी है।

रिटर्निंग आफिसर

असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

आकार-पत्र ७

(नियम १८)

उम्मीदवारी की वापिसी की नोटिस

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४), (५), (६)* के अधीन निर्वाचन के लिए उम्मीदवारी की वापिसी की नोटिस निम्नलिखित उम्मीदवार से/निम्नलिखित उम्मीदवारों में से प्रत्येक से दिनांक——————— को मिली।

———————निर्वाचन क्षेत्र †

उम्मीदवार/उम्मीदवारों के नाम—

१—

२—

३—

इत्यादि

दिनांक———————

रिटर्निंग आफ़िसर

आकार-पत्र ८

(नियम २२)

शलाका-पत्र का आकार-पत्र

वाह्यपर्ण आमुख (Outerfoil front)

प्रतिपर्ण (Counterfoil)

यू० पी० मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४), (५), (६)* के अधीन निर्वाचन	यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४), (५), (६)* के अधीन निर्वाचन।
———————निर्वाचन क्षेत्र ‡	———————निर्वाचन क्षेत्र ‡
निर्वाचक का नाम ———————	उम्मीदवार का नाम
	चिन्ह के लिए स्थान
शलाका-पत्र की क्रम संख्या—	१———————
	२———————
	३———————
	इत्यादि

निर्वाचकों की सूची में निर्वाचक की क्रम-संख्या

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

†केवल अधिनियम की धारा २ के उप नियम (१) के खण्ड (६) के अधीन [illegible]ी दशा में।

[illegible] अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खन्ड (६) के अधीन निर्वाचन

शलाका-पत्र के बाह्यपर्ण के पृष्ठ का आकार-पत्र

अनुदेश

१—इसके साथ प्रेषित शलाका-पत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम दिये हुये हैं, वे यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ की उपधारा (१) के खण्ड (४), (५), (६)* के अधीन निर्वाचन के लिये उम्मीदवार नाम निर्देशित किये गये हैं।

२—निर्वाचित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या................ है।

३—निर्वाचक जिस उम्मीदवार अथवा जिन उम्मीदवारों को मत (वोट) देना चाहता है उस/उन के नाम के सामने शलाका-पत्र पर + अथवा × का चिन्ह लगाकर अपना मत अभिलिखित करें।

४—निर्वाचक प्रमाणकर्त्ता अधिकारी (Attesting Officer), जो राज्य अथवा संघ सरकार का गजटेड अधिकारी होगा, की उपस्थिति में शलाका-पत्र के पृष्ठ की घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा। यह अधिकारी निर्वाचक के हस्ताक्षर को ही प्रमाणित करेगा न कि उसके मत को, जो मत प्रमाण-कर्त्ता अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित नहीं होना चाहिये।

५—प्रमाण किये जा चुकने तथा चिन्ह लगाये जा चुकने के पश्चात् शलाका-पत्र उसके साथ प्रेषित लिफाफे में रखना चाहिये और फिर उस लिफाफे को ऐसे आवरक (Cover) में बन्द कर देना चाहिये जिस पर रिटर्निंग आफिसर का पता लिखा हो। निर्वाचक को चाहिये कि वह उस आवरक को ऐसी डाक द्वारा जिसके लिये पहले से ही डाक-व्यय अदा कर दिया गया हो (Prepaid Post) या किसी संदेश वाहक द्वारा रिटर्निंग आफिसर के पास वापस भेज दे, जिससे कि वह उसके पास दिनांक................१९६ ई० को सायंकाल ५ बजे के पूर्व पहुंच जाय।

६—निम्नलिखित नियमों के उपबन्धों पर भी ध्यान देना चाहिये :—

२५—प्रमाणित करने वाले पदाधिकारियों द्वारा अशक्त मतदाताओं की सहायता पहुंचाना—

(१) यदि कोई निर्वाचक, जिसके पास नियम २२ के अधीन शलाका-पत्र भेजा गया हो, शारीरिक असमर्थता के कारण नियम २३ के उपबन्धों के अनुसार मत अभिलिखित करने और शलाका-पत्र के पृष्ठ की घोषणा पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो तो वह उस अधिकारी द्वारा, जिसे नियम २४ के अधीन उसके हस्ताक्षर, प्रमाणित करने के अधिकार प्राप्त हो, अपना मत लिखवा सकता है और घोषणा पर हस्ताक्षर करवा सकता है।

(२) उपर्युक्त प्रत्येक निर्वाचक, रिटर्निंग आफिसर से प्राप्त लिफाफे और आवरक सहित शलाका-पत्र को, प्रमाणित करने वाले अधिकारी को दे देगा, तथा ऐसा अधिकारी निर्वाचक की प्रार्थना-पत्र पर शलाका-पत्र के पृष्ठ पर निर्वाचक की असमर्थता को प्रमाणित करेगा और इस तथ्य को भी प्रमाणित करेगा कि निर्वाचक ने मुझसे यह अनुरोध किया था कि मैं उसकी ओर से शलाका-पत्र के पृष्ठ की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दूं तथा शलाका-पत्र पर उसका मत अभिलिखित कर दूं। उक्त अधिकारी यह भी लिखेगा कि मैंने निर्वाचक के इच्छानुसार शलाका-पत्र को चिन्हित किया है तथा निर्वाचक की उपस्थिति में ही शलाका-पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये हैं और चिन्ह बनाया है। तत्पश्चात् वह अधिकारी चिन्ह— शलाका-पत्र को लिफाफे में रखेगा, उसे बन्द करेगा, और उसे आवरक में रखकर आवरक को मुहरबन्द करके निर्वाचक को दे देगा। द्वारा/

२६—नए तथा ऐसे शलाका-पत्रों का दुबारा भेजा जाना, जो सम्बद्ध व्यक्ति को प्राप्त न ह देने के ——को

(१) जब नियम २३ के अधीन डाक द्वारा प्रेषित शलाका-पत्र तथा किसी कारण वश सम्बन्धित व्यक्ति को बिना प्राप्त हुए वापस लौट आएं तो रिट—— निर्वाचक को प्रार्थना पर उन्हें रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज सकता है अथवा निज आफिसर हाथ दे सकता है।

——————

रिटर्निंग आफिसर

(२) उन दशाओं में जब कोई निर्वाचक शलाका-पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि को भूल से इस रीति से प्रयुक्त कर ले कि उनका सुविधापूर्वक उपयोग न हो सके तो निर्वाचक द्वारा उस शलाका-पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि को रिटर्निंग अफिसर को वापस कर दिए जाने पर तथा अपनी भूल के सम्बन्ध में उसका समाधान कर देने पर उसे दूसरा शलाका-पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि दे दिए जायेंगे तथा रिटर्निंग आफिसर इस प्रकार लौटाये गये पत्रादि तथा शलाका-... प्रतिपर्ण पर रद्द करने का चिन्ह बना देगा। इस प्रकार रद्द किये गये पत्रादि, ...त्र के प्रतिपर्ण को छोड़कर, एक अलग ऐसे लिफाफा में रख दिए जायेंगे, जो उसी प्रयोजन के लिए होगा।

७—रिटर्निंग अफसर डाक द्वारा भेजे गए ऐसे आवरकों (Covers) को नहीं लेगा, जिन पर डाक व्यय अदा न किया गया हो।

शलाका पत्र की क्रम-संख्या . . . . में एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं, जिसका नाम उत्तर प्रदेश की सम्बद्ध आयुर्वेदिक/यूनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड वैद्यों/हकीमों की सूची की क्रम-संख्या . . . . . . पर निर्वाचक के रूप में लिखा हुआ है।

. . . .
निर्वाचक के हस्ताक्षर
पता . . . .

———————————————————— ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं अथवा ——————————— ने उनकी इस प्रकार पहिचान करदी है (identified) कि उससे मेरा समाधान हो गया है।

नाम ————————————
पता ————————————

————————————
प्रमाणकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम ————————
दिनांक ———————— पता ————————

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

†केवल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड(६) के अधीन निर्वाचन की दशा में।

आकार-पत्र ९

(नियम २२)

आवरक का आकार-पत्र

निर्वाचन-आवश्यक

... में,

रिटर्निंग अफसर,

...० पी० मेडिसिन, ऐक्ट १९३९ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४), (५), ... अधीन निर्वाचन।

...संख्या ———————— पता————————————

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

आकार-पत्र १०

(नियम ३१)

शलाका-पत्रों के लेख का आकार-पत्र

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४), (५), (६)* के अधीन निर्वाचन ——————————— १९६

——————————— निर्वाचन क्षेत्र †

क्रम-संख्या	उम्मीदवार का नाम	दिये गये मतों की संख्या
———	———	———
———	———	———

शलाका-पत्रों की कुल संख्या ———————————

अस्वीकृत शलाका-पत्रों की कुल संख्या ———————————

निम्नलिखित उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जाते हैं:--

(१)

(२)

(३)

दिनांक   रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

† केवल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन निर्वाचन की दशा में।

आज्ञा से,
कैलाश चन्द्र मित्तल,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०--८ डी० एम० एच० एस०-१९६६--१०० -(

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner